संख्या-266/2022/आई/158971/41-1099/101/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 25 अप्रैल, 2022

विषय:-जनपद लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बने पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2493/SS/Heliport-lucknow/44, दिनांक 02.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बने पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि " विपुल पर्यटन-सम्पदाओं एवं असीम पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों/आकर्षणों और पर्यटन सम्भावनाओं के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर बल दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से पर्यटकों के सुविधार्थ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। पर्यटन के क्षेत्र में हेलीपोर्ट के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक लखनऊ में हेलीपोर्ट के निर्माण की पहल की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 87/2018/1230/41-2018-16( बजट)/ 2017, दिनांक 28 मार्च, 2018 के माध्यम से धनराशि रू0 494.65 लाख स्वीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है और योजना की पूर्ण धनराशि लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त कर दी गयी है। लखनऊ में हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर गतिविधियाँ बढ़ेगी, रोजगार के नये-नये अवसर सृजित होगें एवं जनसामान्य का आर्थिक उन्नयन होगा।

3- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22-07-2019 को लखनऊ में हेलीकाप्टर जॉयराइड हेलीपोर्ट के निर्माण संबंधी भूमि के चिन्हांकन/उपलब्धता हेतु आहूत बैठक में निम्नलिखित तीन स्थानों पर विचार किया गयाः-

- रमाबाई मैदान (रैली स्थल) , निकट शहीद पथ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- रायबरेली रोड पर कल्ली पश्चिम स्थित पर्यटन विभाग की भूमि।
- जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नं-06 के पास अविकसित क्रिकेट ग्राउण्ड।

4- उक्त तीन चयनित भूमि में से रमाबाई मैदान (रैली स्थल), निकट शहीद पथ को हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने उच्च श्रेणी का पक्का हेलीपैड बना है। प्रश्नगत भूमि नागरिक उड्डयन विभाग से दिनांक 15-10-2018 को राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

5- लखनऊ में हेलीपोर्ट की स्थापना हेतु रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बना पक्का हेलीपैड स्थल अत्यन्त उपयुक्त है, जो कि राजस्व विभाग की सम्पत्ति है। उक्त स्थल पर अतिविशिष्ट गेस्ट हाउस 04 सूट सहित किचन, गार्ड रूम एवं प्रतिष्ठान में 26 से 30 वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। उक्त स्थल पर पूर्व से पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं, जिससे कि योजना अल्पसमय में ही प्रारम्भ हो सकेगी।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बने पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 19.04.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

**(क)** रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बना पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया जाय ।

**(ख)** परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यथा-आवश्यक अग्रत्तर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

7- जनपद लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बने पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

'' पर्यटकों को अतुलनीय अनुभव उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ''हेलीकाप्टर जॉयराइड हेलीपोर्ट'' की स्थापना हेतु प्रश्नगत हैलीपेड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं (अतिथि गृह) को पर्यटन विभाग द्वारा व्यावसायिक संचालन किया जायेगा, जिससे पर्यटन विभाग को आय भी होगी। अत: स्मारक समिति की परिसम्पत्तियों को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव के दृष्टिगत प्राप्त आय का एक भाग स्मारक समिति को भी प्राप्त होगा।

प्रश्नगत हैलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं (अतिथि गृह) का अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर्यटन विभाग द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा। पर्यटन विभाग द्वारा उक्त परिसम्पत्तियों को किसी अन्य को किसी भी दशा में हस्तान्तरित नही किया जायेगा तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को आवश्यकता होने पर किसी भी समय उक्त परिसम्पत्तियों को वापस लेने का अधिकार होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हेलीकाप्टर जॉयराइड हेलीपोर्ट की स्थापना हेतु रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बना पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं (अतिथि गृह), जिसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, को पर्यटन विभाग के पक्ष में अस्थायी रूप से हस्तान्तरित किया जा रहा है। ''

8- अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( मुकेश कुमार मेश्राम )
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, न्याय विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्व विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0।
6. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( गिरिजापति द्विवेदी )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।